

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रतिवादीगण

वादीगण

हीराराम वगैरह

रामनिवास वगैरह

किस्म प्रकरण : वाद पत्र

संख्या 231C/2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
29.10.2021	<p>यह वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल पाराशर ने अधीन धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे, संबंधित प्रतिवादीगण सूचित हो।</p>	
29.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में वर्णित खसरान 627, के संबंध में तथा खातेदार रामनिवास के वारिसान के संबंध में मजमें आम में पुछताछ की गई। जिस पर प्रतिवादी पक्षकार रामनिवास के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के अलावा अन्य 2 पुत्रियां संतोष तथा गणपती होना पाया गया। तथा प्रतिवादी रामनिवास के उक्त कथन की पुष्टि की तथा स्वीकार किया।</p> <p>इसी प्रकार ग्राम मांगलोद तहसील जायल के वादग्रस्त खसरा नं. 447, 448/1106, 514/1108, 578 जिसकी खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 तारा पत्नी रामनिवास है, जो कि खरीद सुदा भूमि होना बताया। तथा वादीगण खरीद सुदा भूमि में पक्षकारान के जीवित रहते ही खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है, जो कि राजस्व कोर्ट मेनुअल के अनुसार खरीद सुदा भूमि में क्रेता के जीवनकाल में नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य 2 वारिसान यथा संतोष पुत्री रामनिवास पत्नी गोविन्द सोनी निवासी जायल तथा गणपती पुत्री रामनिवास पत्नी दुर्गाप्रसाद को पक्षकार नही बनाये जाने के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

अज अदालत सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अज अदालत सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल